

कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या— 1958 - 61 / जी 428 (स्थानान्तरण-2025)/2025-26

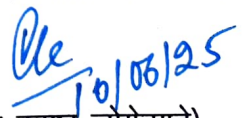
दिनांक— 18 जून 2025

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार परिचारिकाओ (स्टाफ नर्स) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कल्पना	रा०आयु०चि० मंगलौर, हरिद्वार	राज०आयु०चि० पंचकर्म बडकोट उत्तरकाशी	जनहित धारा-17(1)(क)
2	शानलिनी	रा०आयु०चि० मंगलौर, हरिद्वार	राज०आयु०चि० मुख्यालय पौड़ी	जनहित धारा-17(1)(क)
3	पूनम धीमान	रा०आयु०चि० मंगलौर, हरिद्वार	राज०आयु०चि० मुख्यालय पौड़ी	अनुरोध धारा-17(ख)(7)
4	ऋचा पुरषोड़ा	रा०आयु०चि० नरेन्द्रनगर टिहरी	राज०आयु०चि० मुख्यालय पौड़ी	अनुरोध धारा-17(ख)(7)
5	मनीषा आर्या	राज०आयु०चि० मुख्यालय पौड़ी	रा०आयु०चि० झाझरा, देहरादून	जनहित धारा-17(1)(ग)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिक धारा-22 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।


(डा० विजय कुमार जोगेदण्डे)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 3- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
- 4- गार्ड फाईल।


(डा० विजय कुमार जोगेदण्डे)
निदेशक